

बिहार सरकार

शिक्षा विभाग

अधिसूचना

पटना, दिनांक.....

संख्या-10/व 1-21/2012-.....बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम, 1981 की धारा-28 में वर्णित प्रावधान के तहत श्री बी0 के0 ओझा, प्रभारी विशेष निदेशक, माध्यमिक शिक्षा को अगले आदेश तक अपील की सुनवाई करने हेतु प्राधिकृत किया जाता है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0/-

संयुक्त सचिव
शिक्षा विभाग।

ज्ञापांक-.....

पटना, दिनांक.....

प्रतिलिपि : अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय गुलजारबाग, पटना-7 को सूचनार्थ एवं राजपत्र के आगामी असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

ह0/-

संयुक्त सचिव

ज्ञापांक-149

पटना, दिनांक 25/1/12

प्रतिलिपि : आप्त सचिव, मंत्री शिक्षा विभाग/प्रधान सचिव, शिक्षा विभाग के वरीय निजी सहायक/अध्यक्ष, बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड/सचिव, बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/निदेशक, उच्च शिक्षा/निदेशक (प्रशासन)-सह-अपर सचिव/निदेशक, माध्यमिक शिक्षा/निदेशक, प्राथमिक शिक्षा/सभी उप निदेशक/सभी क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक/सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी/सभी प्रशाखा पदाधिकारी को सूचनार्थ प्रेषित।

संयुक्त सचिव

25/1/12